(c) During this period, 5 licences to run hotels/guest houses have been granted. 3114 restaurants have also been registered under the Delhi Eating Houses Registration Regulations, during this period.

निर्यात संसाधन क्षेत्र

1021. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात संसाधन क्षेत्रों के संबंध में स्थिति क्या है और इस संबंध में वार्षिक सर्वेक्षण तथा की गई प्रगति का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में टंडन समिति की सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या निर्णय लिया गया है तथा वे किस हद तक कार्यान्वित की गई हैं;

(ग) इन सिफारिशों को कब तक पूरी तरह से कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) इन क्षेत्रों के विकास की भावी योजनाएं क्या हैं और क्या उन्हें स्वायत प्राधिकरण का दर्जा दिया जाएगा; यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ङ) इस संबंध में कांडला की स्थिति क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) 6 निर्यात संसाधन क्षेत्रों से निर्यातों की प्रगति निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रु० में)

	निर्यात के मूल्य	
	1985–86	1986–87
1. सान्ताक्रुज इलेक्ट्रोनिक्स निर्यात संसाधन क्षेत्र (सीप्ज) महाराष्ट्र	84.40	102.26
2. कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र (काफ्ट्ज) गुजरात।	236.80	236.37
3. फाल्टा निर्यात संसाधन क्षेत्र (फेप्ज) पश्चिम बंगाल	2.38	3.81
4. केरल निर्यात संसाधन क्षेत्र (केप्ज) केरल	—	0.94
5. मद्रास निर्यात संसाधन क्षेत्र (मेप्ज) तमिलनाडु	0.56	10.04
6. नौयडा निर्यात संसाधन क्षेत्र (नेप्ज) उत्तर प्रदेश	—	7.37

(ख) से (ङ) क्षेत्रों की प्रगति को बढ़ाने के संबंध में टन्डन समिति की मुख्य सिफारिशें थीं कि सीप्ज तथा काफ्टज के अलावा 5 या 6 क्षेत्र आवश्यक अवस्थापना के साथ स्वायत्वित किए जाएं, भारतीय तथा विदेशी बड़ी फर्मों को क्षेत्रों में पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उन क्षेत्र एककों को आयात प्रणाली की स्थिथिलता देते हुए घरेलू प्रशुल्क क्षेत्रों में उत्पादन का 25% बेचने की अनुमति दी जाए। सरकार ने इन सिफारिशों को लागू कर दिया है। एकीकृत अवस्थापना के साथ फाल्टों नौयड़ा, मद्रास तथा कोचीन में चार नए क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। आयात प्रणाली को नरमी में घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में उत्पादन के 25% तक बिक्री के लिए अनुमति मामला दर मामला आधार पर दी जाएगी जोकि समुचित शुल्कों की अदायगी के अध्ययधीन होगी ।

टंडन समिति ने काफ्टज सहित सभी निर्यात संसाधन क्षेत्रों के विकास तथा प्रशासन के लिए एक केन्द्रीय सम्मिलित प्राधिकरण बनाने की भी सिफारिश की थी। यह सुझाव सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली पुलिस के महानगर भत्ते में वृद्धि

1022. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली पुलिस में कार्यरत कांस्टेबलों, हैड कांस्टेबलों, सहायक सब इंस्पेक्टरों और सब इंस्पैक्टरों को दिए जाने वाले महानगर भत्ते में कोई वृद्धि की गई है और यदि हां, तो कितनी-कितनी और किस आधार पर?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के बाद 1-10-1986 से दिल्ली पुलिस कार्मिकों को देय महानगर (पुलिस) भत्ते को बढ़ाकर उप-निरीक्षकों के लिए 30 रु. से 90 रु. प्रतिमाह तथा निम्न रैंकों के लिए 20 रु. से 60 रु. प्रतिमाह कर दिय गया है।

Depletion of *Forest* Wealth

1023. SHRI RAM AWADHESH SINGH: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether there is an over-use of forest wealth both due to intended and unintended reasons all over the country leading to a rapid depletion of forest cover; and

(b) what was the Statewise forest cover over the last three years and what would it be during the Seventh Five Year Plan period ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI): (a) Yes, Sir.

(b) No survey has been carried out to I assess Slate-wise forest cover for the last I three years. The Forest Survey of India I has initiated continuous monitoring of forest cover of the country on a two-year cycle.

Reconstitution of Coffee Board

1024. SHRI RAM AWADHESH SINGH: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Coffee Board has recently been reconstituted in order to improve its working, including production and exports; and

(b) if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DAS MUNSHI): (a) and (b) In accordance with the provisions of the Coffee Act, the Coffee Board has been reconstituted for a period of three years w. e. f. 28th August, 1987 for carrying out the various functions envisaged in the Act. The Board as presently constituted provides balanced representation to the various interests connected with the Coffee industry. Besides Chairman, members of Parliament, representatives of Government's of the Principal coffee growing states, other States, large growers, small growers, coffee curing establishments, coffee trade, labour,